

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

नरपत सिंह बनाम श्रीमिकारी लहरी लदार  
 किस्म मुकदमा धत्परवादी नं. 68 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
28-11-18	पत्रावली पेश हुई। अदालत फर्द पर उप/अनुपस्थित। पीठवासी अधिकारी बोरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मौटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-12-18 को पेश हो।	
20-12-18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची अनुपस्थित व वकील अश्विनी भी अनुपस्थित में अदालत उभय पक्षकारान् जोर-बोर कर बार-बार आवाज दिलाई गई। वकील प्राची व पक्षकारान् में से कोई दायिर अदाख्त नहीं आये। अतः वकील प्राची व पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्राथमिक पत्र पक्षकारान् अदालत दायरी व अदालत फर्द में खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल शुम्भर होकर बाद वकील दायिर उपस्थित।	

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 श्रीमाधोपुर (सीकर)  
 300-सीकर, माधोपुर

